

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र गालाबेरी
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. कंवराराम पुत्र हड्डमानराम 2. जमना
पत्नि हड्डमानराम जाति जाट निवास
खेतावास (शिवकर), तहसील व जिला
बाड़मेर।

1. पदमाराम पुत्र पन्नाराम 2. पुरखाराम
पुत्र कालूराम 3. रूगाराम पुत्र कालूराम
4. शेराराम पुत्र कालूराम 5. हरखाराम
पुत्र कालूराम 6. हरखाराम पुत्र जगूराम
7. बीजाराम पुत्र राऊराम 8. भैराराम
पुत्र राऊराम 9. हीराराम पुत्र राऊराम
10. नन्दराम पुत्र हेराजराम 11.
कालूराम पुत्र कंवराराम 12. रामाराम
पुत्र कंवराराम 13. टीकमाराम पुत्र
कंवराराम जातियान जाट निवासीयान
खेतावास (गालाबेरी) तहसील व जिला
बाड़मेर 14. टीकमाराम पुत्र मानाराम
15. रामाराम पुत्र मानाराम जातियान
माली, निवासीयान खेतावास (गालाबेरी),
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-120/2016 दिनांक-14.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खेतावास, पटवार हलका शिवकर, तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 530 रकबा 0.04 बीघा किस्म गै.मु. टांका, खसरा नम्बर
854/532 रकबा 24.05 बीघा किस्म जा0 सोयम, खसरा नम्बर 858/532 रकबा 36.03
बीघा, कुल रकबा 60.12 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक
निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 14/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6600-6603

प्रतिलिपि:- निर्मांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी कंवराराम पुत्र हड्डमानराम वगैरह जाति जाट, निवासी खेतावास
(शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पदमाराम पुत्र पन्नाराम वगैरह जाति जाट निवासी-खेतावास
(गालाबेरी) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर